उत्तर रेलवे

230—विद्युत लोको परिचालन / दिल्ली / तकनीकी—24 / 2024
दिनांक :— 10.05.24

मण्डल कार्यालय
नई दिल्ली

तकनीकी ड्राईव—DLI/RSO- 04/2024

विषयः — संरक्षित शंटिंग कार्य हेतु आवश्यक निर्देश।

1. दिनांक 28.04.2024 को लोको न0 36261/WDG-6/TKD के द्वारा शकुरबस्ती यार्ड में 25 NMG + 1 BOBYN + 1 BV को वाशिंग लाईन संख्या - 01 से स्टेबिंग लाईन संख्या – 02 में लाया जाना था। शंटिंग कार्य के दौरान लोड़ को वाशिंग लाईन संख्या - 01 से NNO साइडिंग की तरफ जाते समय हैण्ड प्वाइन्ट W-02 के प्रापर तरीके से सेट होने की तसल्ली नहीं की गई और हैण्ड प्वाइन्ट न0—W-02 को ट्रेल थ्रू कर दिया। लोड स्टेबिंग लाईन संख्या – 02 की तरफ बैक करते समय हैण्ड प्वाइन्ट न0—W-02 के two route होने के कारण NMG वैगन न0 NC X044951 (दिल्ली एण्ड से छठवा वैगन) की दिल्ली एण्ड ट्रॉली अवपथित हो गई।

2. दिनांक 05.05.2024 को लोको न0—22363 / WAP-4 / HWH जो कि गाड़ी संख्या— ECR 04281 में कार्यरत था, मेरठ सीटी यार्ड में शंटिंग कार्य के दौरान गाड़ी संख्या – ECR/04281 को शंटिंग कार्य के दौरान लाईन संख्या—01 से लाईन संख्या—09 ले जाते समय हैण्ड प्वाइन्ट T-16 के प्रापर तरीके से सेट होने की तसल्ली नहीं की गई और हैण्ड प्वाइन्ट न0— T-16 को ट्रेल थ्रू कर दिया। हैण्ड प्वाइन्ट T-16 के इसी स्थिति में लोको को लोड से अलग करके वापिस लाते समय लोको पायलट शंटर के द्वारा पिछली कैब से (बिना कैब बदले) हैण्ड प्वाइन्ट T-16 पर ट्रेल थ्रू अवस्था में मूवमेन्ट करने के कारण लोको न0—22363 / WAP-4 / HWH की कैब न—01 (SRE End) के सभी चक्के अवपथित हो गए।

उपरोक्त दोनो ही केसो में यह देखा गया कि प्वाइन्ट्समेन व चालक के द्वारा काटे को सेट किए बिना ट्रेल थ्रू में कांटे को पास करना व उसी स्थिति में वाहन को उसी कांटे से वापस लाना अवपथन का कारण बना। अतः सभी चालक दल को निम्न निर्देश दिये जा रहे हैः—

1. आउटपिट / शैड से लोको निकालते समय लोको की पूर्ण जांच भली—भाँति करें।
2. सदैव अगली कैब से ही लोको / ई.एम.यू. चलायें। पिछली कैब से कभी भी लोको / ई.एम.यू. का परिचालन न करें।
3. आगे की तरफ शंटिंग कार्य करते समय सिगनल व कॉंटे की सही स्थिति की तसल्ली करना ई.टी. का कर्तव्य है। जहॉं पर पोइन्टस मेन की व्यवस्था नही है, वहॉं पर स्वयं कॉंटो को सेट व लॉक करें। अतः आगे तसल्ली पूर्वक बढ़े।
4. आउटपिट पर लोको मूवमेंट करते समय साथ वाली लाइन पर हो रहे मूवमेंट का ध्यान रखते हुए लोको को चलायें।
5. मार्शलिंग के दौरान, किसी भी लोको को खड़ा करने से पहले फाउलिंग मार्क क्लीयर होने की तसल्ली करें।
6. आउटपिट / लोको शेड़ में शंटिंग की गति, किसी भी दशा में 5 किमी प्रति घंटा से अधिक न हो पाये।.
7. आउटपिट पर या यार्ड में लोको स्टेबल करते समय, यदि लोको में पार्किंग ब्रेक है तो पार्किंग ब्रेक लगाकर, हैण्ड ब्रेक लगाकर तथा अगले एवॅ पिछले पहियों के नीचे लकड़ी के गुटके (wooden wedges) लगाकर सुरक्षित करें।
8. शंटिग करते समय शंटिग के नियमों का पूर्णतः पालन करे, एक शंटिंग कर्मचारी को कैब में अवश्य रखें।
9. लोड के साथ शंटिंग कार्य करते समय SA-9 के द्वारा ब्रेक ना लगाये, हमेशा A-9 के द्वारा ही ब्रेक लगाये।
10. स्टेशन पर चार्ज देने से पहले स्विच—160 की पोजीशन '1' पर व चार्ज लेने के बाद स्विच 160 की पोजीशन का '0' पर होना अवश्य सुनिश्चित करें।
11. लोको चलाते समय कभी भी मोबाईल फोन का प्रयोग न करें।

12. शंटिंग कार्य, शंटिंग सुपरवाइजर/स्टाफ की देखरेख में ही किया जायेगा और उनके हाथ सिगनल का कड़ाई से पालन करेंगे। शंटिंग कार्य के दौरान, वाकी–टाकी/मोबाइल सेट पर कोई निर्देश नहीं दिया जायेगा ।
13. कोई भी लोको पायलट शंटिंग के दौरान मोबाइल फोन से पावर केबिन के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। इंजन पर उपस्थित शंटिंग कर्मचारी/प्वाइंट्समैन ही पावर केबिन/ स्टेशन मास्टर से बात करेगा तथा पावर केबिन से प्राप्त निर्देश लोको पायलट को बतायेगा, लोको पायलट उसके निर्देशानुसार ही कार्य करेगा।
14. किसी भी फेसिंग प्वाइंट व ट्रेलिंग प्वाइंट को पास करने से पहले, इंजन रोककर सुनिश्चित करें कि कांटा पूरी तरह से सेट है तथा कॉटर बोल्ट एवं कॉटर पिन लगे हुए हैं। यदि प्वाइंटसमैन उपलब्ध है तो सुनिश्चित करें कि उसने कांटा सेट कर दिया है तथा कॉटर बोल्ट एवं कॉटर पिन लगा दिया है।
15. साधारण एवं सहायक नियम 5.13 के निर्देशों का पालन करते हुए ही शंटिंग मूवमेंट करें।
16. सहायक नियम 3.68/5 के अनुसार, जहॉ शंट सिगनल की व्यवस्था हो वहां शंटिंग संचालन के लिए उसका प्रयोग किया जायेगा, बशर्ते कि, वह खराब हालत में न हो। लोको पायलट शंट सिगनल से गुजरने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि वह आफ स्थिति में है। यदि शंट सिगनल खराब है तो उसके बारे में लोको पायलट को सूचित किया जायेगा और शंटिंग कर्मचारी/सुपरवाइजर पावर केबिन से बात करने के बाद ही रूट सेट होने की तसल्ली करेगा। ऐसी स्थिति में लोको पायलट शंटिंग कार्य के इंचार्ज कर्मचारी द्वारा दिखाए गए हैण्ड सिगलन के अनुसार कार्य करेगा।
17. गाड़ी के साथ शंटिंग कार्य करते समय कम से कम 5–6 गाड़ियों का प्रैशर बनायेंगे ताकि गाड़ी रोक़ने के लिए आवश्यक ब्रेक पावर उपलब्ध रहे।
18. कन्वेंशनल लोको में BL Key को ऑफ पोजिशन पर करने पर लोको ब्रेक कार्य करती है परन्तु एबीबी लोको में BL Key को OFF पोजिशन पर करने पर लोको ब्रेक SA-9 कार्य नहीं करती है तथा A-9 वाल्व से भी केवल इजरजेंसी पोजिशन पर ही ब्रेक लगती है तथा अन्य पोजिशन पर A-9 से भी ब्रेक नहीं लगती। अतः चलते लोको में BL Key को OFF पोजिशन पर न करें ।
19. कैब बदलते समय सभी कॉक बंद, RS सही स्थिति पर, BL-BOX सही ढंग से लॉक होना तथा A-9 व SA-9 का रिलीज़ पर होना अवश्य सुनिश्चित करें।
20. लोको को लोड पर अटैच करते समय 20 मीटर पहले अवश्य रूके उसके बाद धीरे–धीरे चलकर 1–2 मीटर पहले अवश्य खडे हो। तदोपरांत 2–3 KMPH की गति से कपलिंग जोड़े उसके बाद थोड़ा खिंचाव देकर कपलिंग के सही लगे होने कि तसल्ली करें।

अतः सभी लोको निरीक्षक, 15 दिन के विशेष अभियान के तहत, सभी मनोनीत/अमनोनीत स्टॉफ को उपरोक्त मदों पर गहनता से काउन्सिल करें व अपनी काउंसलिंग रिपोर्ट दैनिक आधार पर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें या "CLI Reports" नामक व्हाटसएप ग्रुप में भेजें। इसे अति आवश्यक समझें।

नीतेश 10/5/24

कृते वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :–

1. मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे–सूचनार्थ।
2. अपर मण्डल रेल प्रबंधक/परिचालन/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे–सूचनार्थ।
3. वरि मण्डल संरक्षा अधिकारी, नई दिल्ली – सूचनार्थ।
4. समस्त लोको लॉबी नोटिस बोर्ड– आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त मुख्य लोको निरीक्षक– आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद/उत्तर रेलवे–आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधानाचार्य/प्रशिक्षण केन्द्र – गाजियाबाद/शकुरबस्ती/तुगलकाबाद।